

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 28, 2016/माघ 8, 1937

No. 68]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 2016/MAGHA 8, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2016

सं. 1/2016-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 121(अ).—अभिहित प्राधिकारी चीन जनवादी गणराज्य (जिसे इसके बाद विषयगत देश कहा गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “3क ग्रेड और उससे निम्न स्तर के मलबरी रॉ सिल्क (बिना बटी हुई)” (जिसे इसके बाद विषयगत माल कहा गया है) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतद्पश्चात् सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 50 के टैरिफ मद 5002 00 10 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं, के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1, तारीख 4 दिसम्बर, 2015 में प्रकाशित अधिसूचना फा. सं. 14/17/2014-डीजीएडी, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि-

(i) विषयगत माल का निर्यात विषयगत देश से इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर भारत में निर्यात किया गया है;

(ii) घरेलू उद्योग को सामग्रीगत क्षति हुई है;

(iii) सामग्रीगत क्षति विषयगत देश से पाटित आयातों के कारण हुई है;

और यह सिफारिश की है कि विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तुओं के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 क की उप-धारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, अभिहित प्राधिकारी के पूर्वार्क्त निष्कर्षों के आधार पर अद्योलिखित सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित देश में उद्भूत, उक्त सारणी के स्तंभ (7) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उत्पादकों द्वारा उत्पादित, भारत में आयात किए गए ऐसे मामलों पर, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, जिनका विवरण उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दिया गया है, और जिनकी विनिर्देशन उक्त सारणी के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई है, जब उनका निर्यात उक्त सारणी के स्तंभ (6) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित देशों से, उक्त सारणी के स्तंभ (8) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा किया जाए, उक्त सारणी के स्तंभ (11) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित मुद्रा और उक्त सारणी के स्तंभ (10) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रतिमापन इकाई में व्यक्त उक्त सारणी के स्तंभ (9) की तत्स्थानी प्रविष्टि में इंगित संदर्भ राशि के समतुल्य दर पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है।

सारणी

क्रम सं.	टैरिफ मद	वस्तु विवरण	विनिर्देशन	उद्भूत का देश	निर्यात को देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	5002 00 10	3क ग्रेड और उससे निम्न स्तर के मलबरी रों सिल्क (बिना बटी हुई)	कोई विनिर्देशन	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	1.85	किलो ग्राम	अमरीकी डालर
2	5002 00 10	3क ग्रेड और उससे निम्न स्तर के मलबरी रों सिल्क (बिना बटी हुई)	कोई विनिर्देशन	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	कोई	1.85	किलो ग्राम	अमरीकी डालर
3	5002 00 10	3क ग्रेड और उससे निम्न स्तर के मलबरी रों सिल्क (बिना बटी हुई)	कोई विनिर्देशन	कोई	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	1.85	किलो ग्राम	अमरीकी डालर

2. लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक (जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) उद्गृहीत किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के आशय से, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन में लागू “विनिमय दर” वहीं होगी जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा विनिमय की दर के निर्धारण की तारीख वह होगी जो उपर्युक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

[फा. सं. 354/304/2015-टीआर्यू]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2016

No. 1/2016-Customs (ADD)

G.S.R. 121(E).—Whereas, in the matter of ‘Mulberry Raw Silk (not thrown) of grade 3A and below’ (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff item 5002 00 10 of Chapter 50 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from, the People’s Republic of China (hereinafter referred to as the subject country), and imported into India, the designated authority in its final findings published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, *vide* notification number 14/17/2014-DGAD, dated the 4th December, 2015, has come to the conclusion that –

- (i) the subject goods have been exported to India from the subject country below its normal value;
- (ii) the domestic industry has suffered material injury;
- (iii) the material injury has been caused by the dumped imports of the subject goods from subject country,

and has recommended imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, specification of which is specified in column (4), falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (5), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (6), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (7), exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (8), imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (9), in the currency as specified in the corresponding entry in column (11) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (10) of the said Table, namely:—

TABLE

Sl.No (1)	Tariff Item (2)	Description of goods (3)	Specification (4)	Country of origin (5)	Country of export (6)	Producer (7)	Exporter (8)	Amount (9)	Unit (10)	Curre- ncy (11)
1.	5002 00 10	Mulberry Raw Silk (not thrown) of 3A grade and below	Any specification	Peoples Republic of China	Peoples Republic of China	Any	Any	1.85	Kg	US Dollar
2.	5002 00 10	Mulberry Raw Silk (not thrown) of 3A grade and below	Any specification	Peoples Republic of China	Any	Any	Any	1.85	Kg	US Dollar
3.	5002 00 10	Mulberry Raw Silk (not thrown) of 3A grade and below	Any specification	Any	Peoples Republic of China	Any	Any	1.85	Kg	US Dollar

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/304/2015-TRU]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2016

सं. 2/2016-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 122(अ).—जबकि कि नामित प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाशित दिनांक 9 दिसम्बर, 2014 की अपनी अधिसूचना सं.15/17/2014-डीजीएडी, के अंतर्गत चीन जनवादी गणराज्य (यहां जिसे विषयगत देश के रूप में संदर्भित किया गया है) से मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए “मेलामाइन” (यहां जिन्हें विषयगत वस्तु के रूप में संदर्भित किया गया है) जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे यहां उपर्युक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के टैरिफ मद 2933 61 00 के अंतर्गत आते हैं, के आयात पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में दिनांक 19 फरवरी, 2010 को सा.का.नि. सं. 91(अ) के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 19 फरवरी, 2010 की अधिसूचना सं. 10/2010-सीमा शुल्क के अंतर्गत लागू किया गया था, को बनाए रखने के मामले की समीक्षा शुरू की थी।

और जबकि केन्द्र सरकार ने भारत के राजपत्र के असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में दिनांक 7 जनवरी, 2015 को सा.का.नि. सं. 16(अ) के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 7 जनवरी, 2015

की अधिसूचना सं. 02/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) के द्वारा, 18 फरवरी, 2016 तक विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की गई विषयगत वस्तु पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क को बनाए रखा था।

और जबकि विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तु के आयात पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में पद नामित पदाधिकारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में दिनांक 5 दिसम्बर, 2015 को प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्ष सं. 15/17/2014-डीजीएडी के अंतर्गत निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि-

- (i) विषयगत देश से विषयगत वस्तु का पाटन लगातार बना रहता है;
- (ii) इन पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को लगातार हानि होती रहती है;
- (iii) यदि वर्तमान पाटनरोधी ड्यूटी वापस ले ली जाए जब विषयगत वस्तु का पाटन और घरेलू उद्योग को लगातार हानि जारी रहने की संभावना है।

और यह सिफारिश की है कि विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तु के लिए प्रतिपाटन शुल्क का लगाया जाना जारी रखा जाए;

इसलिए अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निश्चरण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार प्राधिकृत प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर एतद्वारा विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, जो कॉलम (2) में सामने की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, कॉलम (4) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में उद्भूत हैं और कॉलम (5) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित हैं और कॉलम (6) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पादित हैं तथा कॉलम (7) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातक द्वारा निर्यातित हैं, और भारत में आयातित हैं, पर उक्त सारणी के कॉलम (9) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप की प्रति यूनिट, कॉलम (10) में विनिर्दिष्ट मुद्रा में एवं कॉलम (8) में सामने दी गई प्रविष्टि राशि के समतुल्य प्रतिपाटन शुल्क दर लगाती है।

सारणी

क्र.स.	टैरिफ शीर्ष	उपशीर्ष	उद्गम देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मापन इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2933 61 00	मेलामाइन	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	331.10	मीट्रिक टन	अमरी की डालर
2	2933 61 00	मेलामाइन	पाटनरोधी शुल्क को आकर्षित करने वाले देश को छोड़कर कोई अन्य देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	331.10	मीट्रिक टन	अमरी की डालर
3	2933 61 00	मेलामाइन	चीन जनवादी गणराज्य	पाटनरोधी शुल्क को आकर्षित करने वाले देश को छोड़कर कोई अन्य देश	कोई	कोई	331.10	मीट्रिक टन	अमरी की डालर

2. लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक (जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) उद्गृहीत किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के आशय से, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन में लागू “विनिमय दर” वहीं होगी जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की द्वारा प्रदत्त शक्तियों शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा विनिमय की दर के निर्धारण की तारीख वह होगी जो उपर्युक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

[फा. सं. 354/28/2004-टीआरयू (भाग-I)]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2016

No. 2/2016-Customs (ADD)

G.S.R. 122(E).—Whereas, the designated authority, *vide* notification No. 15/17/2014-DGAD, dated the 9th December, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, had initiated a review in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of Melamine (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff item 2933 61 00 of Chapter 29 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported, from the People’s Republic of China (hereinafter referred to as the subject country), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 10/2010-Customs, dated the 19th February, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 91(E), dated the 19th February, 2010;

And whereas, the Central Government had extended the period of imposition of anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject country upto and inclusive of the 18th February, 2016 *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 02/2015-Customs (ADD), dated the 7th January, 2015, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R 16(E), dated the 7th January, 2015;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on import of the subject goods, originating in or exported from the subject country, the designated authority in its final findings, published *vide* notification No. 15/17/2014-DGAD, dated the 5th December, 2015, in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, has come to the conclusion that –

- (i) there is continued dumping of the subject goods from the subject country;
- (ii) these dumped imports continue to cause injury to the domestic industry;
- (iii) in the event of revocation or cessation of anti-dumping duties, dumping of subject goods from subject country and injury to domestic market is likely to continue or intensify,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (7), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (8), in the currency as specified in the corresponding entry in column (10) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table, namely:—

TABLE

S.No	Tariff item	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	2933 61 00	Melamine	People's Republic of China	People's Republic of China	Any	Any	331.10	MT	US Dollar
2.	2933 61 00	Melamine	Any country other than those subject to anti-dumping duty	People's Republic of China	Any	Any	331.10	MT	US dollar
3.	2933 61 00	Melamine	People's Republic of China	Any country other than those subject to anti-dumping duty	Any	Any	331.10	MT	US Dollar

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/28/2004-TRU (Pt.-I)]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2016

सं. 3/2016-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 123(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटन शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण), नियम 1995, के नियम 18, 20 और 23 और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के साथ पाठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), सा.का.नि. 91(अ), तारीख 19 फरवरी, 2010 में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 10/2010 सीमा शुल्क तारीख 19 फरवरी, 2010 को उन बातों के सिवाय जो ऐसे विखंडन से पूर्व की गई है या जिन्हें करने का लोप किया गया है, विखंडित करते हैं।

[फा. सं. -354/28/2004-टीआरयू (भाग-I)]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2016

No. 3/2016-Customs (ADD)

G.S.R. 123(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with rules 18, 20 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 10/2010-Customs, dated the 19th February, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 91(E), dated the 19th February, 2010, except as respect things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 354/28/2004-TRU (Pt.-I)]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2016

सं. 6/2016-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 124(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/2012 सीमा शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का.नि. 185(अ), तारीख 17 मार्च, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में,

(i) सारणी में, क्रम सं 202 के सामने, स्तंभ (3) की मद (I) की, उपमद (छ) की प्रविष्टि के स्थान पर “एनपीके 13:05:26” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

(ii) सूची 3 में, निम्नलिखित मद संख्याएं और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा, अर्थात्:—

(1), (3), (6), (8), (13), (14), (15), (20), (22), (24), (27), (30), (32), (35), (37), (39), (41), (43), (44), (45), (48), (51), (52), (55), (56), (57), (58), (59), (61), (62), (63), (65), (66), (72), (73), (77), (91), (95), (102), (105), (110), (113), (115), (116), (117), (118), (119), (120), (121), (125), (127), (128), (129), (130), (131), (132), (133), (139), (140), (171) और (179);

(iii) सूची 4 में, निम्नलिखित मद संख्याएं और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा, अर्थात्:—

(1), (6), (12), (13), (40), (42), (55), (56), (73), (86), (95), (96), (97), (99) और (118)।

[फा. सं. 332/24/2010-टीआरयू, भाग-I]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 12/2012-सीमा शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का.नि. 185(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 4/2016-सीमा शुल्क, तारीख 19 जनवरी, 2016, सा.का.नि. 86(अ), तारीख 19 जनवरी, 2016 द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2016

No. 6/2016-Customs

G.S.R. 124(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 185(E), dated the 17th March, 2012, namely:—

In the said notification,—

(i) in the Table, against serial number 202, in column (3), in item (I), for entry in sub-item (g), the entry “NPK 13:05:26” shall be substituted;

(ii) in List 3, the goods specified against following item numbers shall be omitted, namely:—

(1), (3), (6), (8), (13), (14), (15), (20), (22), (24), (27), (30), (32), (35), (37), (39), (41), (43), (44), (45), (48), (51), (52), (55), (56), (57), (58), (59), (61), (62), (63), (65), (66), (72), (73), (77), (91), (95), (102), (105), (110), (113), (115), (116), (117), (118), (119), (120), (121), (125), (127), (128), (129), (130), (131), (132), (133), (139), (140), (171) and (179);

(iii) in List 4, the goods specified against following item numbers shall be omitted, namely:—

(1), (6), (12), (13), (40), (42), (55), (56), (73), (86), (95), (96), (97), (99) and (118).

[F. No. 332/24/2010-TRU (Pt.I)]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.

Note: The principal notification No. 12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 185(E), dated the 17th March, 2012 and last amended *vide* notification No. 4/2016-Customs, dated the 19th January, 2016, published *vide* number G.S.R. 86(E), dated the 19th January, 2016.